न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –41 / 2016 (आव.व.अधि)

राज्य सरकार जरिये अमित शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक, कोटा
–प्रार्थी

बनाम

श्री शिवाराम पुत्र श्री रामाजी निवासी तलवण्डी चौराहा, कोटा । मैसर्स देवनारायण टी–स्टॉल, तलवण्डी चौराहा कोटा ।
–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक– 19.11.2019

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि अमित शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी, कोटा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि दिनांक 09.03.2016 को अवैध घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक की रोकथाम हेतु गठित जांच दल (श्री अशोक सांगवा–जिला रसद अधिकारी एवं हितेश जोशी– प्रवर्तन अधिकारी, श्री अमित शर्मा– प्रवर्तन निरीक्षक व विनोद कुमार प्रवर्तन निरीक्षक) के द्वारा तलवण्डी स्थित मैसर्स देवनारायण टी–स्टॉल, तलवण्डी चौराहा, कोटा की आकस्मिक जांच की गई । वक्त मौका दुकान पर मौजूद कार्यकर्ता श्री शिवाराम पुत्र रामाजी उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को रेस्टोरेन्ट का कार्यकर्ता होना जाहिर किया । श्री शिवाराम की उपस्थिति में दुकान की जांच की गई । जांच के दौरान घरेलू गैस का सिलेण्डर का उपयोग ग्राहकों के लिए चाय बनाकर कीमतन बिक्री की जा रही थी । दुकान परिसर में तलाशी के दौरान पाये गये 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत जरिये फर्द जब्ती मौके पर ही जब्त किया गया, जिनका विवरण फर्द जब्ती में किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार निम्न है–

S.N.	S.R.No.	Co.	T.W.	G.W	N.W. Gas
1-	577424	IOC	15.6 Kg	20.4 Kg	4-8 Kg

उक्त जब्तशुदा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को मौके पर ही मैसर्स श्री गैस एजेन्सी, कोटा के कर्मचारी श्री नन्द सिंह पुत्र दशरथ सिंह को सुपुर्दगी में दिये गये । सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया । इस प्रकार श्री शिवाराम पुत्र रामाजी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (बी), 4(1) (ए), 6 व 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है ।

अतः उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 01 घरेलू गैस सिलेण्डर्स मय उनमें भण्डारित एल.पी.जी. को राजसात करने के आदेश फरमावें । साथ ही जप्तशुदा

Scanned by CamScanner

गैस सिलेण्डर्स से एल.पी.जी.लीक हो सकने के कारण गैस सिलेण्डर्स का अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 बी के अधीन नोटिस जारी किया गया । नोटिस अदम तामिल प्राप्त । तामिली रिपोर्ट में थानाधिकारी जवाहर नगर द्वारा रिपोर्ट अंकित की है कि आस पास के ईलाके में देवनारायण टी–स्टॉल व शिवाराम नाम के व्यक्ति की कोई जानकारी नहीं मिली आस पास कोई टी–स्टॉल वर्तमान में संचालित नहीं है । चूंकि निर्धारित पते पर दुकान नहीं मिलने से प्रकरण के निस्तारण हेतु अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । पेरोकार रसद की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दिनांक 09.03.2016 को अवैध घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु गठित जांच दल के द्वारा मैसर्स देवनारायण टी–स्टॉल, तलवण्डी चौराहा, कोटा की वक्त मौका जांच में दुकान पर मौजूद कार्यकर्ता श्री शिवाराम पुत्र श्रीरामाजी उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को दुकान का कार्यकर्ता होना जाहिर किया । श्री शिवाराम की उपस्थिति में दुकान की जांच की गई । जांच के दौरान 01 घरेलू गैस का सिलेण्डर का उपयोग ग्राहकों के लिए चाय बनाकर कीमतन बिक्री किया जाने पर राजहित में जब्त किये गये ।

4. इस प्रकार शिवाराम पुत्र श्रीरामाजी निवासी तलवण्डी चौराहा, कोटा, मैसर्स देवनारायण टी स्टॉल, तलवण्डी चौराहा कोटा द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण कर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1), (ए),(बी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

5. अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत सीज्ड माल 01 (एक) घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात (Confiscation) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

6. निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner